

कार्यालय : राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.

सी-1, विक्रान्त खण्ड 1, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 141/5/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2013

दिनांक : 19 मार्च, 2012


आदेश

आयोग में विचाराधीन सभी प्रकार के नवीन व पुराने वादों को श्रेणियों (Categories) में वर्गीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश सं. 4913 /एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2013 दि. 19.3.2013 के सन्दर्भ में पीठों के मध्य कार्य-विभाजन निम्नवत् किया जाता है -

| | | |
|---------------|-----------------------|--|
| प्रथम पीठ - | Category (5) के मामले | (विविध मामले अर्थात् श्रेणी 1 से 4 में वर्गीकृत वादों के अतिरिक्त अन्य सभी मामले) |
| द्वितीय पीठ - | Category (1) के मामले | (इन्श्योरेंस कम्पनीज़) |
| तृतीय पीठ - | Category (2) के मामले | (इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट व मेडिकल नेग्लीजेन्स) |
| चतुर्थ पीठ - | Category (3) के मामले | (1. बैंक व फाईनैन्स कम्पनीज़ 2. रेलवेज 3. एयरलाइन्स 4. रोड ट्रान्सपोर्ट 5. एजुकेशन) |
| पंचम पीठ - | Category (4) के मामले | (1. हाउसिंग 2. टेलीकॉम 3. पोस्टल) |

यह कार्यालय आदेश दि. 1.4.2013 से प्रभावी होगा।

नोट - कोई भी पीठ किसी विशेष कैटेगरी के लिए नामित नहीं है बल्कि समय-समय पर पीठासीन अधिकारियों के साथ-साथ कैटेगरीवाइज मामले भी परिवर्तनीय हैं।


(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि -

1. समस्त मा. सदस्यगण, राज्य आयोग।
2. सहायक निबन्धक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, राज्य आयोग।
3. वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग।
4. कार्यालय अधीक्षक (अभिलेखागार/अधिष्ठान पटल), राज्य आयोग।
5. गार्ड फाइल (अधिष्ठान पटल), राज्य आयोग।
6. नोटिस बोर्ड।